प्रेस नोट 10.11.2023

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 10.11.2023 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर भुजही मोड़ के पास से अजित यादव पुत्र राकेश यादव निवासी सरया थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ के कब्जे से एक अवैध तमंचा व 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 375/23 धारा /25 आयुद्ध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालाना न्यायालय किया गया।

04 वांछित अभियुक्त तथा 02 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 10.11.2023 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना घोसी पुलिस द्वारा करीमुद्दीनपुर से मु0अ0सं0 318/22 धारा 419,420,409,504,506 भादवि0 में वांछित अभियुक्तगण मंसूर अहमद, खालिद अंसार, नदीम अहमद पुत्रगण स्व0 हाजी अंसार निवासीगण करीमुद्दीपुर थाना घोसी तथा थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 361/23 धारा 363,366,120बी भादवि0 में वांछित अभियुक्त अमित सिंह पुत्र नगेन्द्र सिंह निवासी बिरजापुर थाना मुंगराबादशाहपुर जनपद जौनपुर थाना वारंटी अभियुक्तगण थाना घोसी पुलिस द्वारा वसीम अहमद पुत्र अब्दुल निवी मानिकपुर असना, रामवृक्ष पुत्र चिखरू चौहान निवासी लखनी मुबारकपुर थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत पोक्सों एक्ट के दोषी को 13 वर्ष के कठोर कारावास व ₹45000 के अर्थदंड से किया गया दंडित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में मानिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय ए0एस0जे0 पोक्सो प्रथम जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 10–11–2023 को, मु0अ0सं0 264/20 .धारा 147,323,376,504,506 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट थाना दक्षिणटोला में दोषसिद्ध अभियुक्त आमिर पुत्र बदरूद्दीन निवासी जहांगीराबाद कांशीराम आवास थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 13 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व ₹45000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया।

सजा कराये जाने में अपर शासकीय अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार मिश्रा, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उपनिरीक्षक सुनील मलिक, आरक्षी वीरेन्द्र मिश्र तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी अनिल तिवारी थाना दक्षिणटोला का सराहनीय योगदान रहा।

धनतेरस त्योहार के दृष्टिगत आज दिनांक 10.11.2023 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के नेतृत्व/निर्देशन में जनपद मऊ पुलिस के सभी थानों द्वारा भीड़–भाड वालें स्थानों, कस्बों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, बाजारों आदि में व्यापक रूप से फुट पेट्रोलिंग

कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा नगर क्षेत्र में आजमगढ़ तिराहे से रोडवेज हाते हुए, बालनिकेतन, सदर चौक, घास बाजार, संस्कृत पाठशाला, औरंगाबाद, मिर्जाहादीपुरा तक पैदल गस्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। ऑपरेशन दृष्टि के अन्तर्गत लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक कर उनको सही दिशा में व्यवस्थित करने हेतु निर्देश दिये गये।